

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थी

नत्थुगिरी पुत्र स्व. किशनगिरी बनाम
जाति गोस्वामी, निवासी कासण,
तहसील लाडनूं जिला नागौर

अप्रार्थीगण

1. सुवा पुत्री स्व. किशनगिरी
2. भवरी देवी पुत्री स्व. किशनगिरी
जलियान गोस्वामी, निवासीगण कासण,
तहसील लाडनूं जिला नागौर
3. सरपंच ग्राम पंचायत सुनारी तहसील
लाडनूं जिला नागौर
4. तहसीलदार व उपपंजीयक लाडनूं जिला
नागौर

किस्म मुकदमा ट्रांसफर पीटीशन

संख्या

01

सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुकम की तारीख जारी हुए
16.01.2019	<p>प्रार्थी ने यह ट्रांसफर पीटीशन धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019 सुवा बनाम नत्थुगिरी वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में ट्रांसफर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो एवं अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.02.2019 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> जिला कलक्टर, नागौर</p>	
18/2/19	<p>वकूलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक...11/3/19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
11-3-19	<p>वकूलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब आज राजस्थान डेटे पर ही पत्रावली दि. 11-3-19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
1-4-19	<p>वकूलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब आज राजस्थान डेटे पर ही पत्रावली दि. 1-4-19 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
4.4.19	<p>वकील प्रार्थी व प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध पेश किया है, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। आदेशिका की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>[Signature]</i> (दिनेश कुमार यादव) कलक्टर, नागौर</p>	